न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः—158 / 2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88, 53 आर.टी.ए.

1 अमरिन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 जसविन्द्र सिंह पुत्र राजपाल सिंह जाति जटसिख 32 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

— वादीगण

बनाम्

1 अजीत सिंह पुत्र नेता सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
2 गुरतेज कौर पत्नी नेता सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
3 बिन्द्र कौर पुत्री नेता सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
4 मनप्रीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
5 रविराजेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
6 लवप्रीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
7 हरविन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
8 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री मदन मूण्ड — अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामकुमार कस्वां प्रतिवादी सं. 1 ता 7
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 8

—:निर्णयः—

दिनांक ....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143 / 10 में 0.506 है. रकबा दर्ज रिकार्ड है जो निम्न प्रकार से है—
चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143 / 10 प.न. 111 / 318 मु.न. 53 किला नं. 21, 22 सालम तादादी 0.506 हैं. दर्ज रिकार्ड है जिसकी नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह है कि उक्त वर्णित रकबा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि थी जिसके कर्ताधर्ता प्रतिवादी सं. 1 अजीत सिंह थे जो पारिवारिक समझोता में प्रतिवादी सं. 1 अजीत सिंह व सुखप्रीत कौर से उक्त भूमि हम वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा तारीख 9.6.2022 व 5.9. 2023 को खरीद कर ली थी तथा खरीद की तारीख से आज तक उक्त भूमि हम वादीगण के कब्जा काश्त में निर्बाध रूप से चली आ रही है। परंतु अभी तक भूमि का राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा हम वादीगण सरकारी लाभों से वंचित हो रहे हैं

यह है कि उक्त भूमि का हम वादीगण ने घराघरू बंटवारा कर रखा तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा के वादीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143 / 10 में से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 का नाम कलमजन कर इनके स्थान पर हम वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी सं. 1 की कब्जाकाश्त भूमि चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143 / 10 प.न. 111 / 318 मु.न. 53 का कि.न. 21 सालम वादी सं. 2 की कब्जाकाश्त भूमि चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143 / 10 प.न. 111 / 318 मु.न. 53 का कि.न. 22 सालम।

यह कि वादी ने मुताबिक [illegible]ने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि व इंतकाल व खाता विभाजन करवाने में सह[illegible]ें, तो वे इन्कार हो गये, यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:13 IST
Reason: SelfAttested

≈ वाद—पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] किया गया तलबी प्रति[illegible] जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता रामकुमा[illegible] कस्वां ने वकालतनामा [illegible]वादी सं. 1 ता 3, 4 ता 7 की ओर से जवाब दावा मय इकबाल दावा इस आशय का पेश किया कि बैयनामा से भूमि

खरीद होना स्वीकार है तथा मुताबिक वाद पत्र के डिक्री अनुतोष प्रदान किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को आपति नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का जवाब शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में जवाब इकबालिया पेश होने के कारण तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने मुताबिक वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादीगण वाद मुताबिक वाद पत्र के, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

अतः वाद वादीगण अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से किया जाता है किः— चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143/10 प.न. 111/318 मु.न. 53 का कि.न. 21 रकबा 0.253 है. नहरी भूमि का वादी सं. 1 अमरिन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह व चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143/10 प.न. 111/318 मु.न. 53 कि.न. 22 रकबा 0.253 है. नहरी भूमि का वादी सं. 2 जसविन्द्र सिंह पुत्र राजपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। खातेदार प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा जरिये जवाब मय इकबाल दावा हाजिर होकर बैयनामा के आधार पर वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः— यदि निर्णित आराजी बैंक रहन हो तो, रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्याः–158 / 2024

1 अमरिन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 जसविन्द्र सिंह पुत्र राजपाल सिंह जाति जटसिख 32 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादीगण

बनाम्

1 अजीत सिंह पुत्र नेता सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
2 गुरतेज कौर पत्नी नेता सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
3 बिन्द्र कौर पुत्री नेता सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
4 मनप्रीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
5 रविराजेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
6 लवप्रीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
7 हरविन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख 24 एस.एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
8 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मदन मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री रामकुमार कस्वां वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– चक 24 एस. एस.डब्ल्यू खाता सं. 143 / 10 प.न. 111 / 318 मु.न. 53 का कि.न. 21 रकबा 0.253 है. नहरी भूमि का वादी सं. 1 अमरिन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह व चक 24 एस.एस.डब्ल्यू खाता सं. 143 / 10 प.न. 111 / 318 मु.न. 53 कि.न. 22 रकबा 0.253 है. नहरी भूमि का वादी सं. 2 जसविन्द्र सिंह पुत्र राजपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। खातेदार प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा जरिये जवाब मय इकबाल दावा हाजिर होकर बैयनामा के आधार पर वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन / न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।
नोटः– डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:13 IST
Reason: SelfAttested